

Page No.

(Printed Pages 7)

(20622)

Roll No.

B.Com. LL.B.-II Sem.

NS-3010

B.Com. LL.B. Examination, June-2022

LAW OF TORTS AND CONSUMER

PROTECTION ACT

(BCL - 2005)

Time : Three Hours] [Maximum Marks : 100

Note : Attempt **all** the Sections as per instructions.

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिये।

Section-A / खण्ड-अ

(Very Short Answer Questions)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt **all five** questions. Each question carries 4 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words.

4×5=20

P.T.O.

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न 4 अंको का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है।

1. Write the definition of Tort given by Prof. Salmond. 4
प्रो. सामण्ड ने जो परिभाषा अपकृत्य की दी है उस परिभाषा को लिखें।
2. Distinguish between false imprisonment and malicious Prosecution. 4
मिथ्या कारावास एवं विद्वेषपूर्ण अभियोजन में अन्तर स्पष्ट कीजिये।
3. What do you mean by "Volenti non fit injuria"? 4
"बिना सहमति के किये गये कार्य" से आप क्या समझते हैं?

OR/ अथवा

4. Whether Court fees and Vakalatnama are necessary in consumer cases. 4
क्या कोर्ट फीस और वकालतनामा उपभोक्ता मामलों की सुनवाई में अनिवार्य है?

NS-3010/2

5. Whether Tort is a codified Law? If no, then give one reason. 4
क्या अपकृत्य एक संहिता क्रमबद्ध विधि है? यदि नहीं तो उसका एक कारण लिखो।
6. Definition of Negligence. 4
उपेक्षा की परिभाषा दीजिये।

Section-B / खण्ड-ब

(Short Answer Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **two** questions out of the following 3 questions. Each question carries 10 marks. Short Answer is required not exceeding 200 words.

2×10=20

नोट : निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है।

7. Explain the following : 10
निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए :
(a) Injuri Sine demnum
दुष्करण
(b) Demnum Sine injuria
अकरण
8. Explain the following : 10
निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए :
(a) Malfesance
क्षति बिना हानि
(b) Misfesance
हानि बिना क्षति
(c) Wrongfull Act
अनुचित कार्य
(d) Cyber Tort
साइबर अपकृत्य
9. There are certain immunities which limit the liability for Torts. 10
कुछ दशायेँ ऐसी हैं कि जिनमें क्षतिभार से उन्मुक्ति हो सकती है।

OR/ अथवा

Discuss various theories of "remoteness of damage" with the help of decided cases. 10

"क्षति की दूरस्थता" के सिद्धान्त को निर्णीत वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

Section-C / खण्ड-स

(Descriptive Answer Questions)

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **three** questions out of the following 5 questions. Each question carries 20 marks. Answer is required in detail. 3×20=60

नोट : निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित हैं।

NS-3010/5

P.T.O.

10. Define libel and slander and discuss the saying "The greater the truth the greater the libel". 20

अपवचन एवं अपलेख की परिभाषा दीजिये तथा इस कहावत का विश्लेषण कीजिए " जितना अधिक सत्य होगा उतना ही अधिक अपलेख होगा"।

11. What is meant by contributory Negligence and its opportunity Rule? Refer to Davis Vs. Mann case. 20

योगदायी उपेक्षा और उसके अन्तिम अवसर के नियम से क्या तात्पर्य है? डेविस बनाम मान केस का हवाला दीजिए।

12. Discuss the definition of consumers as interpreted by Courts and Redressal Agencies. 20

न्यायालय एवं शिकायत निवारण अधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उपभोक्ता की परिभाषा दीजिए।

OR/ अथवा

13. Right to Private defence is available with certain limitations Explain. 20

NS-3010/6

व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अन्दर उपलब्ध है, व्याख्या कीजिये।

14. Discuss injunction as a judicial remedy for Tort for which tort. It is the most suitable remedy? 20

व्यादेश का एक न्यायिक उपचार के रूप में वर्णन कीजिए।
किस दुष्कृति के लिये यह सर्वोपयुक्त उपचार है?

15. Discuss the liability of State for the torts committed by its Servants. Whether the State will get Sovereign immunity today? Discuss with the Supreme Court Cases.

20

राज्य का अपने सेवकों द्वारा दिये गये अपकृत्यों के लिये क्या दायित्व है? क्या राज्य को आज सम्प्रभु उन्मुक्ति मिलेगी उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का सन्दर्भ देते हुए विवेचना कीजिए।